२९/८/२५

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित
प्रा०पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय
अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। नकल दी
पक्ष को।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2025/104

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested

(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

कृष्णलाल बनाम पालाराम व अन्य

किस्म मुकदमा–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–33/2025 (GCMS No. 2025/104)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 4 बी.जे.डब्लयू. के खाता संख्या 75/62 के पत्थर नं. 70/12 मु0न0 18 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 21 ता 25 कुल 4.301 हैक्टर अ0क0 भूमि में से 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जैर प्रकरण रकबा समतल व उच्चे टीलो वाला रकबा। समान किस्म का रकबा नही है। इसलिये प्रार्थी अपने हिस्सा में प्राप्त रकबा का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर अप्रार्थी से अपना खाता अलग करवाना चाहता है। जैर प्रकरण रकबा संयुक्त खाता का है। अप्रार्थी संख्या–01 उक्त संयुक्त खाता की भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये बेचान करना चाहता है। यदि अप्रार्थी संख्या–01 ने बिना खाता विभाजन करवाये अपना रकबा अजरबी क्रेता को बेचान कर दिया तो प्रार्थी के अधिकारों का हनन होगा। अप्रार्थी 01 द्वारा यदि अच्छी–अच्छी किस्म की भूमि का बेचान कर दिया गया तो प्रार्थी को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–01 को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जावे कि वे जैर प्रकरण रकबा चक 4 बी.जे.डब्लयू. के खाता संख्या 75/62 के पत्थर नं. 70/12 मु0न0 18 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 21 ता 25 कुल 4.301 हैक्टर अ0क0 भूमि को रहन, बैय, हस्तातंरण ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में कानूनी नजीर आरआरटी 2005 (2) पेज 812, आरआरटी 2005 (2) पेज 995, आरआरटी 2020 (2) पेज 1081, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी संख्या–01 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी ने कभी भी अप्रार्थी को खाता विभाजन करवाने हेतु नही कहा गया है। मात्र प्रार्थना पत्र रंग देने की नियत से कथन किया गया है। संयुक्त खाता में स्थगन होने के कारण सरकारी लाभ लेने, फवारा योजना का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। सह खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी आधारहीन होने से निरस्त करने का निवेदन किया। कानूनी नजीर आरबीजे 2002 (9) पेज 130 तथा आरएलडब्लयू 2011 (2) पेज 1056 प्रस्तुत की। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा प्रस्तुत कानूनी नजीर का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। जैरवाद रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–01 के नाम से संयुक्त खाता में अंकित राजस्व रिकार्ड है। सह खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नही है। किन्तु यदि ऐसा प्रतीत होता है कि सह खातेदार द्वारा बिना खाता विभाजन करवायें अच्छी अच्छी भूमि का कब्जा अजनबी क्रेता को बेचान कर दिया तो प्रार्थी को नुकसान संभव है। इसलिये प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे जैर प्रकरण रकबा तहसील सूरतगढ़ के चक 4 बी.जे.डब्लयू. के खाता संख्या 75/62 के पत्थर नं. 70/12 मु0न0 18 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 21 ता 25 कुल 4.301 हैक्टर अ0क0 भूमि को वाद पत्र के निर्णय तक बेचान व हस्तातिरण ना करें। बैंक रहन तथा भूमि अवाप्ति कार्यवाही पर उक्त स्थगन प्रभावी नही होगा। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena

Date: 2025.09.03 17:28:52 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़